संख्या: 18/2019/ 863 /सत्रह-म-2019-6-9 (9)/14 टी0सी0

प्रेषक,

बी0एल0 मीना,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिंनाक 06 अगस्त,2019

विषय वित्तीय वर्ष 2017-18 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त/ पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि रू0 238.14 के सापेक्ष अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत धनराशि रू0 396.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या -181 /नि0शा0/2019-20 दिनांक 05.07.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-18 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त/पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 238.14 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत केन्दांश धनराशि रू0 237.60 लाख एवं मैंचिग राज्यांश रू0 158.40 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 396.00 लाख (रू0 तीन करोड छियान्यबे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में अवगत कराना है ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0-1203113 /37/2017-एफवाई, दिनांक 26 मार्च, 2018 एवं तत्क्रम में निर्गत समसंख्यक शुद्धि पत्र दिनांक 11जून, 2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कुल रू0 7665.67 लाख की परियोजना स्वीकृत की गयी थीं, जिसमें केन्द्रांश रू0 2279.86 लाख, राज्यांश रू0 1388.04 लाख एवं लाभार्थी अंश रू0 39997.77 लाख की धनराशि निहित है। उक्त केन्द्रांश रू0 2279.86 लाख में से अनुसूचित जाति हेतु चार परियोजनाओं के लिए कुल रू0 264.60 लाख का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था।

3- भारत सरकार के पत्र संख्या-जे0-1203113 /37/2017-एफवाई, दिनांक 26 मार्च,2018 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान (अनुसूचित जाति सब प्लान) में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

रू0 238.14 लाख की केन्द्रीय सहायता अवमुक्त की गयी, परन्तु वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक में बजट व्यवस्था न हो पाने के कारण उक्त धनराशि का उपयोग नहीं किया जा सका। भारत सरकार के पत्र संख्या- जे0-1203113 /48/2017-एफवाई, दिनांक 20 जून, 2019 द्वारा केन्द्रांश धनराशि रू0 238.14 लाख को वर्ष 2019-20 में व्यय किये जाने हेतु पुनर्वैध कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत योजनानतर्गत अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक 2405-मछली पालन हेतु कुल रू0 736.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

4- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सरकार द्वारा ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति मद हेतु अवमुक्त/ पुनर्वैध केन्द्रांश धनराशि रू0 238.14 के सापेक्ष, केन्दांश रू0 237.60 लाख तथा मैंचिग राज्यांश रू0 158.40 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 396.00 लाख (रू0 तीन करोड छियान्यबे लाख मात्र) को निम्न तालिकानुसार 04 मदों में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**परियोजना का नाम**	**भौतिक लक्ष्य**	**इकाई लागत**	**अनुमन्य अनुदान**	**निर्गत होने वाली वित्तीय स्वीकृति की धनराशि**			**अभ्युक्ति**
					केन्द्रांश	**राज्यांश**	**योग**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सोलर पावर सपोर्ट सिस्टम फार एक्वाकल्चर	1	15.00	9.00	5.40	3.60	9.00	निदेशक मत्स्य के पत्र सख्या 181/ नि0शा0 /2019-20 दिनांक 05 जुलाई 2019 द्वारा जनपदवार उपलब्ध कराये गये संलग्नक के विवरण के अनुसार।
2	स्माल फीड मिल	2	10.00	6.00	7.20	4.80	12.00	
3	रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम	11	50.00	30.00	198.00	132.00	330.00	
4	हैचरियोंकी स्थापना	3	25.00	15.00	27.00	18.00	45.00	
	कुल योग -				**237.60**	**158.40**	**396.00**	

(रू0 तीन करोड छियान्बे लाख मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश संख्या- संख्या- 20/2016/2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर,2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स एवं शासनादेश संख्या- संख्या- 2/2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निर्गत संशोधित मार्ग- निर्देश में दिये गये निर्देर्शो व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) भारत सरकार के पत्रांक जे0- 18001/1/2017- एफवाई दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर-3 के अनुसार धनराशि का अन्तरण डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यक्तानुसार ही किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 तथा शासनादेश संख्या-बी0-1-1195/दस-16-94 दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर /बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(9) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ- साथ राजकीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना(के036/रा024/ला040-के0+रा0) 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैरवेतन) मद के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019 /बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बी0एल0मीना)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 18/2019/863 (1)/ सत्रह-म-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com